पर्यटन विभाग

बिहार सरकार

"मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024"

सोमेश्वरनाथ धाम, अरेराज, मोतिहारी

श्यामा माई मंदिर, दरभंगा

बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा प्राकृतिक रमणीक पर्यटन स्थलों से समृद्ध है। सरकार द्वारा किये जा रहे विकासात्मक कार्यों एवं पर्यटकों को उपलब्ध करायी जाने वाली आधुनिक तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के कारण यहाँ आनेवाले पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2015 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः करीब 2.80 करोड़ एवं 9.24 लाख थी, वहीं वर्ष 2023 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर करीब 8.21 करोड़ हो गई। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गयी थी, परंतु सरकार के अथक प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

पर्यटक बिहार भ्रमण के दौरान आवासन के विकल्प के रूप में लग्जरी होटल, बजट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला आदि का उपयोग करते हैं। यह सुविधाएँ मूलतः शहरी परिधि में सुगमता पूर्वक उपलब्ध होते है परन्तु शहरी परिधि के बाहर इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। वर्तमान में पर्यटन के विभिन्न आयामों का विस्तार हो रहा है, जिसमें ग्रामीण पर्यटन एवं इको पर्यटन मुख्य रूप से आकर्षण के केन्द्र बन रहे हैं। पर्यटकों को पर्यटन स्थल के समीप आवासन की सुविधा तथा पर्यटकों के लगातार आगमन को देखते हुए, उन्हें मंगलमय परिभ्रमण एवं सुखद अनुभव प्रदान करने हेतु होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी–विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान विश्राम हेतु आरामदायक एवं स्वच्छ बिहारी परिवेश का कमरा/बेड अपेक्षाकृत कम खर्च में उपलब्ध कराना, जहाँ पर्यटकों को बिहार की संस्कृति, खान–पान एवं परम्पराओं से रूबरू होने का अवसर मिल सके। होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट में ठहरने वाले पर्यटकों को ''अतिथि देवो भवः'' की सार्थकता का अनुभव होगा।

1. योजना का नामकरण एवं विस्तार :

(i) इस योजना को मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 के नाम से जाना जायेगा।

(ii) यह योजना पूरे बिहार राज्य में चिन्हित पर्यटकीय स्थलों पर लागू होगी। चिन्हित स्थल अनुलग्नक –1 के रूप में संलग्न।

(iii) यह योजना अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं यथा रिसार्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग–लाजिंग गृहों पर लागू नहीं होगी।

(iv) यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(v) जिस आवासीय परिसर में मकान मालिक या प्रमोटर निवास कर रहें होंगे, उसे होमस्टे तथा आवासीय परिसर में केयरटेकर/संचालक के रहने पर उसे बेड एण्ड ब्रेकफस्ट कहा जायेगा।

(vi) शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थल से 05 कि०मी० की परिधि तथा ग्रामीण क्षेत्र/इको पर्यटन स्थल से 10 कि०मी० की परिधि में होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना अनुमान्य होगी।

2. पात्रता :

(i) इस योजना के पात्र वैसे मकान मालिक या प्रमोटर होंगे, जिनके पास निजी उपयोग के पश्चात अपना 01 कमरा या अधिकतम 06 कमरा होगा, जिसमें कम से कम 02 बेड एवं अधिकतम 12 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी।

(ii) कमरे साफ–सुथरा एवं प्रकाशमय होना चाहिए।

(iii) कमरो में मूलभूत सुविधायें यथा, शौचालय, स्नानागार, आदि (अनुलग्नक–03 में वर्णित श्रेणी के अनुसार)।

(iv) अन्य कोई शर्त जिसे समय–समय पर विहित किया जाये।

3. वर्गीकरण :

(i) यह योजना 02 श्रेणियों यथा सिल्वर एवं गोल्ड में वर्गीकृत होगी। वर्गीकरण के मानक अनुलग्नक–3 में वर्णित किये गए हैं।

4. आवेदन की प्रक्रिया :

(i) आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर वांछित कागजातों के साथ पर्यटन निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में समर्पित करेंगे।

5. निबंधन की प्रक्रिया :–

(i) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर को अपने कमरों/बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। यह निबंधन दो वर्ष के लिए वैध होगा तत्पश्चात् प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जायेगा।

(क) निबंधन शुल्क के रूप में रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये मात्र) प्रथम 02 वर्ष के लिये निर्धारित है, जो अप्रत्यपर्णीय (Non Refundable) होगा। यह राशि निदेशक, पर्यटन (Director Tourism) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी। यह राशि चालान के माध्यम से राज्य के संचित निधि में जमा की जायेगी।

(ii) निबंधन नवीनीकरण प्रथम 02 वर्ष के पश्चात् प्रतिवर्ष किया जायेगा। सिल्वर श्रेणी हेतु रू0 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) एवं गोल्ड श्रेणी हेतु रू0 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) का निबंधन नवीनीकरण शुल्क देय होगा। यह राशि निदेशक, पर्यटन (Director Tourism) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी। यह राशि चालान के माध्यम से राज्य के संचित निधि में जमा की जायेगी।

(iii) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर हेतु आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक 02 संलग्न।

(iv) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर हेतु चेकलिस्ट का प्रारूप अनुलग्नक 03 संलग्न।

(v) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर हेतु अंडरटेकिंग का प्रारूप अनुलग्नक 04 संलग्न। इसे नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र के रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(vi) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा नवीनतम होल्डिंग कर रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(vii) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा स्थानीय थाना से चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(viii) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा जिस मकान के कमरे/बेड को होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट के रूप में निबंधित करना चाहते हैं, उसका अन्दर एवं बाहर का फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(ix) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पर्यटन निदेशालय के मुख्य कार्यालय में या ऑनलाईन जमा की जा सकेगी।

6. जाँच की प्रक्रिया :–

(iA) मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत निबंधित कमरे/बेड का निरीक्षण–सह– मूल्यांकन क्षेत्रीय समिति द्वारा चेकलिस्ट (अनुलग्नक–03) के अनुसार किया जायेगा। तत्पश्चात् उनके रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन विभागीय समिति के अनुमोदन के पश्चात निदेशक, पर्यटन के द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–05) निर्गत किया जा सकेगा।

(iB) **क्षेत्रीय समिति के सदस्य निम्न होंगे :–**

(क) वरीय उपसमाहर्त्ता, पर्यटन (संबंधित जिला)/ संबंधित जिला पदाधिकारी के नामित प्रतिनिधि – अध्यक्ष

(ख) प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र (संबंधित जिला/संबंधित प्रभारी जिला)/ पर्यटन निदेशालय से नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(ग) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा नामित कनीय/सहायक अभियंता – सदस्य

(घ) बिहार टूर ऑपरेट्र्स/ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन के नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(ङ) बिहार होटल एसोसिएशन के नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(i B) पर्यटन विभागीय समिति के सदस्य निम्न होंगे :–

(क) उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय – अध्यक्ष

(ख) आंतरिक वित्तीय सलाहकार,पर्यटन विभाग /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पर्यटन निदेशालय – सदस्य

(ग) संबंधित सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय – सदस्य

(ii) क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं अन्य दो सदस्यों द्वारा समिति का गणपूर्ति (Quorum) पूर्ण की जा सकेगी।

(iii) पर्यटन विभाग/निदेशालय द्वारा होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट का औचक निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा।

(iv) क्षेत्रीय समिति होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट के आवेदन प्राप्त होने 30 दिनों के अन्दर अपना जाँच प्रतिवेदन पर्यटन निदेशालय को भेज देंगे। पर्यटन विभागीय समिति 15 दिनों के अन्दर समीक्षा कर निदेशक, पर्यटन को समर्पित कर देंगे। निदेशक, पर्यटन प्राप्त आवेदन पर 15 दिनों के अन्दर निर्णय ले लेंगे। इस प्रकार यह प्रक्रिया 60 दिनों में पूर्ण कर ली जायेगी।

7. पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएँ :

(i) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा इस योजना के तहत कमरा/बेड आरक्षित कराने वाले पर्यटकों को चेकलिस्ट (अनुलग्नक–03) में उल्लेखित सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं की गुणवत्ता या उपलब्धता की जिम्मेदारी मकान मालिक/प्रमोटर की होगी, ताकि पर्यटकों/अतिथियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा एवं सुविधाएँ मिल सकें।

(ii) पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के अन्दर पर्यटन विभाग को देना आवश्यक होगा।

8. होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट संचालक के दायित्व :

(i) यदि मकान मालिक उस मकान में न रहता हो, जहाँ होमस्टे प्रोत्साहन योजना लागू हो तो उसे एक संचालक अधिकृत करना होगा। यह बेड एण्ड ब्रेकफस्ट की श्रेणी में आयेगा।

(ii) होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत आरक्षित होने वाले बेड/कमरों के राशि का निर्धारण मकान मालिक या प्रोमोटर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(iii) होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट का लाभ उठाने वाले पर्यटकों/अतिथियों की माँग के आधार पर भोजन/नाश्ता उपलब्ध कराना मकान मालिक/प्रमोटर का दायित्व होगा। भोजन/नाश्ता की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी अथवा शिकायत पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(iv) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ साफ–सफाई, भारतीय/बिहारी व्यंजन, बिहारी संस्कृति आदि का प्रदर्शन/अनुभव प्राप्त हो।

(v) मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 का लाभ उठाने वाले लाभुकों द्वारा कमरों/बेड की गुणवत्ता को हमेशा बनाये रखना एक आवश्यक शर्त होगा।

(vi) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर को विदेशी पर्यटक द्वारा कमरा/बेड आरक्षित करने पर इसकी सूचना स्थानीय थाना को विहित प्रपत्र फार्म 'C' में देना आवश्यक होगा तथा अन्य देशी पर्यटकों द्वारा कमरा/बेड आरक्षित करने पर उनकी सभी विवरणी निम्न प्रपत्र में संधारण करना होगा :–

क्र०	नाम	पता/ मो० नं०	पहचान पत्र संख्या	आगमन की तिथि	प्रस्थान की तिथि	अतिथि आगमन शहर	अतिथि प्रस्थान शहर	हस्ताक्षर

नोट :– कुल देशी–विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रतिमाह पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(vii) निबंधन प्रमाण पत्र का प्रदर्शन होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट में करना आवश्यक होगा ताकि अतिथियों को यह दृष्टिगोचर हो। निबंधन प्रमाण पत्र का प्रपत्र पर्यटन विभाग/निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा (अनुलग्नक– 05)।

(viii) विभागीय टोल फ्री नं० का प्रदर्शन कमरों में करना आवश्यक होगा।

(ix) बिहार राज्य में लागू मद्य निषेध अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) महिला पर्यटकों की सुविधाओं एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना मकान मालिक/प्रमोटर का दायित्व होगा। इसके लिए महिला परिचारिका की व्यवस्था श्रेयस्कर होगी।

(xi) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा ऐसी कोई गतिविधि को प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेंगे, जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

(xii) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट के विषय में किसी प्रकार के भ्रामक सूचनाएं/विज्ञापन प्रचलित नहीं किया जायेगा।

(xiii) मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा होमस्ट/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट में रहने वाले पर्यटक की निजता का हनन न हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे।

9. अतिथियों का दायित्व :

(i) अतिथि भवन को स्वच्छ व साफ–सुथरा रखने में भरसक मदद करेगा।

(ii) अतिथि अपनी अलग रसोई नहीं चलायेगा।

(iii) अतिथि अपने विषय में मांगी गई समुचित सूचनाएं मकान मालिक/प्रमोटर की पंजी में दर्ज करायेगा।

(iv) अतिथि द्वारा भवन में यदि जाने–अनजाने कोई टूट–फूट होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

(v) अतिथि अपने से मिलने आने वाले किसी व्यक्ति को होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट में रात्रि में रूकने देने हेतु दबाव नहीं बनायेगा।

(vi) अतिथि आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को नहीं करेगा जो प्रशासनिक/सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करें। अपना व्यवहार उत्तम रखेगा तथा मकान मालिक/प्रमोटर तथा पड़ोसियों की आवासीय गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

(vii) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विधि व्यवस्था दिशा–निर्देश का पालन किया जायेगा।

10. निरस्तीकरण :

(i) यदि मकान मालिक/प्रमोटर पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका निबंधन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) यदि मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता चलता है तो ऐसे मकान मालिक/प्रमोटर को साक्ष्य हेतु उपयुक्त अवसर दिया जायेगा तथा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर तद्नुसार संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र की संस्तुति पर निदेशक/सचिव/प्रधान सचिव, पर्यटन, बिहार द्वारा निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(iii) निबंधन वैधता समाप्ति से 03 महीने पूर्व निबंधन के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा आवेदन दिया जाना आवश्यक होगा। वैधता समाप्ति के पश्चात् आवेदन करने पर इसे नये आवेदन के रूप में मानकर निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

11. मकान मालिक/प्रमोटर को दी जाने वाली लाभ :

(क) वित्तीय लाभ–

(i) ऋण की राशि का ब्याज की प्रतिपूर्ति

(अ) इस योजना का लाभ उठाने वाले मकान मालिक/प्रमोटर को कमरे को उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस सहायता के तहत उन्नयन के लिए प्राक्कलित राशि को पर्यटन विभाग से अनुमोदित कराना होगा। तत्पश्चात बैंक से प्राप्त ऋण के राशि के ब्याज की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी। ऋण की राशि की अधिकतम सीमा 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) रूपये प्रति कमरे।

(ब) उन्नयन का कार्य तीन महीने में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(स) उन्नयन का कार्य पूर्ण होने की जाँच पर्यटन निदेशालय द्वारा करायी जायेगी। तत्पश्चात ऋण की राशि का ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(द) इस ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति अधिकतम पाँच साल तक की जायेगी। यदि किसी कारणवश इस अवधि में होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट का निबंधन निरस्त किया जाता है, तो ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल रोक दी जायेगी।

(ii) यदि मकान मालिक/प्रमोटर द्वारा 05 साल से कम समय में होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट को बंद किया जाता है तो उस स्थिति में ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मकान मालिक/प्रमोटर से वसूली जायेगी।

(ख) गैर वित्तीय लाभ :

(i) इस योजना के तहत निबंधित होने के पश्चात् मकान मालिक/प्रमोटर का नाम, पता, संपर्क नं0 आदि का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट एवं अन्य पर्यटन साहित्यों में किया जायेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न ऑनलाईन प्लेटफार्म पर भी किया जायेगा।

(iii) मकान मालिक/प्रमोटर के होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट को टूर पैकेज में भी शामिल किया जायेगा तथा टूर ऑपरेटरों को होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट को आरक्षित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

(iv) मकान मालिक/प्रमोटर को समय समय पर कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(12) पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की नियमावली एवं शर्तों में संशोधन, समीक्षा तथा विस्तृत नियमावली प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(13) प्रथम चरण के व्यय का आकलन– प्रथम चरण (स्वीकृति के अनुसार अगले 5 क्रमिक वित्तीय वर्षों में) में 1000 कमरों को होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट में परिवर्तित किया जाना है, जिसमें लगभग 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास

लाख रूपये मात्र) रूपये प्रतिवर्ष तथा ऋण समय सीमा (स्वीकृति के अनुसार अगले 5 क्रमिक वित्तीय वर्षों में) रू० 12,50,00,000/– (बारह करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) व्यय अनुमानित है।

(14) यह राशि विपत्र कोड 46–3452801040103 के प्राथमिक इकाई 3301–सब्सीडी मद से वहन की जायेगी।

(15) उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–06.08.2024 को मद संख्या– 16 पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक – 01

मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 हेतु पर्यटक स्थलों की सूची।

क्र.स.	जिला का नाम	मुख्य पर्यटक स्थल
1	सीतामढ़ी	1. पुनौराधाम
2	गया	1. महाबोधि मंदिर, बोधगया 2. विष्णुपद मंदिर 3. डुंगेश्वरी मंदिर 4. प्रेतशिला 5. गुरूपा स्तूप
3	नालंदा	1. जल मंदिर, पावापुरी 2. नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर 3. रोपवे, राजगीर 4. जू–सफारी एवं नेचर सफारी, राजगीर 5. राजगीर कुंड
4	वैशाली	1. अभिषेक पुष्करणी परिसर
5	भागलपुर	1. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर
6	प० चम्पारण	1. गाँधी आश्रम, भितिहरवा 2. वाल्मिकी टाईगर रिजर्व

7	जहानाबाद	1. बराबर की गुफाएँ
8	नवादा	1. ककोलत जलप्रपात
9	पूर्वी चम्पारण	1. केसरिया स्तूप
10	जमुई	1. जैन मंदिर, लछुआर 2. नागी नकटी डैम, जमुई
11	बांका	1. मंदार पर्वत
12	औरंगाबाद	1. देव सूर्य मंदिर
13	रोहतास	1. शेरशाह सूरी का मकबरा 2. मांझर कुंड 3. धुआं कुण्ड 4. करमचट डैम
14	मुंगेर	1. भीमबांध वन्य अभ्यारण्य
15	कैमूर	1. करमचट डैम 2. मुंडेश्वरी मंदिर परिसर

अनुलग्नक – 02

Application format for Classification as Mukhyamantri Homestay/Bed and Breakfast Protsahan Yojna 2024

1) Name of the Homestay/Bed and Breakfast Establishment

2) Category applied for

3) Name and address of the promoter(s)/owner (s) with a note on their background

4) Complete postal address of the Homestay/Bed and Breakfast Establishment

a) Tel. no

b) Fax

c) E-mail:

d) Mobile No. of the promoter:

5) Distance of the Homestay/Bed and Breakfast Establishment in kms. From:

a) Airport :

b) Railway Station :

c) City Centre :

d) Nearest main shopping centre :

e) Nearest bus stand /scheduled city bus stop :

6) Details of the Homestay/Bed and Breakfast Establishment

(a) Area (in sq. m) with title - owned/ leased (copies of sale/ lease deed to been closed) :

(b) Revenue papers regarding ownership. Affidavit in case of co-sharer of house/ land. :

(c) Whether character certificate obtained from the Police Authorities regarding the antecedents of the owner /owners and the proposed activity (copy to been closed) :

(d) Number of rooms and area for each type of room in sq. ft. (single/ double/ suites) :

(e) Number of attached baths :

(f) Details of public areas for the following facilities in sq. ft. :

(i) Lobby/lounge :

(ii) Dining space :

(iii) Parking facilities :

g) Additional facilities 'available if any (not mandatory) :

(i) Eco –friendly facilities :

(ii) Facilities for differently a bled persons :

(h) Details of Fire Fighting equipment/ hydrants etc. if any :

7. Photographs of the building including interiors showing types of facilities available, bathroom, living room, bedroom, parking etc. :

8. Check list details as per Annexure III :

9. Consent of acceptance of the regulatory conditions (please enclose a copy of the prescribed undertaking as per Annexure IV duly signed by the owner of the establishment)

* * *

अनुलग्नक – 03

Checklist for Classification of Mukhyamantri Homestay/Bed and Breakfast Protsahan Yojna 2024

Sr. No.	General	Silver	Gold	Certification by the Establishment regarding the facilities Yes/No	Observations of the Classification Committee
1	Well maintained and well-equipped house and guestrooms with quality carpets / area rugs/ tiles or marble flooring, furniture, fittings etc. in keeping with the traditional lifestyle.	M	M		
2	Sufficient parking with adequate road width.	D	M		
3	Guest rooms: Minimum one lettable room and maximum rooms (12 beds). All rooms should be clean, airy, pest free, without dampness and with outside window / ventilation.	M	M		
4	Minimum floor area in sq. ft. for each room.	120	200		
5	Comfortable bed with good quality linen & bedding preferably of Indian design;	M	M		

6	Attached private bathroom? with every room along with toiletries.	M	M		
7	Minimum size of each bathroom in sq. ft.	30	40		
8	WC toilet to have a seat and lid, toilet paper	M	M		
9	24 hours running hot & cold water with proper sewerage connection	M	M		
10	Water saving taps/Shower	D	M		
11	Well maintained smoke free, clean, hygienic, odour free, pest free kitchen.	M	M		
12	Dining area serving fresh Continental and /or traditional Indian breakfast.	M	M		
13	Good quality cutlery and crockery.	M	M		
14	Air-conditioning & heating depending on climatic conditions with room temp. between 20 to 25 degrees centigrade in the offered room.	M	M		
15	Iron with iron board on request.	M	M		
16	Internet Connection.	D	M		
17	15-amp earthed power socket in the guest room.	M	M		
18	Telephone with extension facility in the room	D	M		

19	Wardrobe with at least 4 clothes hangers in the guest room.	M	M		
20	Shelves or drawer space in the guest rooms.	M	M		
21	Complimentary aquaguard / RO / mineral water.	M	M		
22	Good quality chairs, working table and other necessary furniture.	M	M		
23	Washing machines / dryers in the house with arrangements for laundry / dry cleaning services.	D	M		
24	Refrigerator in the room.	D	M		
25	A lounge or seating arrangement in the lobby area.	D	M		
26	Heating and cooling to be provided in enclosed public rooms.	D	M		
27	Garbage disposal facilities as per Municipal laws.	M	M		
28	Energy Saving Lighting (CFL/ LED) in guest rooms and public areas.	M	M		
29	Acceptance of cash /cheque / D.D.	M	M		
30	Message facilities for guests.	M	M		
31	Name, address, and telephone number of doctors.	M	M		
32	Left luggage facilities	D	M		

33	Assistance with luggage, on request.				
34	Safe keeping facilities in the room.	D	M		
35	Smoke /heat detectors in the house.	D	D		
36	Security guard facilities	D	M		
37	Fire extinguisher / Firefighting system	D	M		
38	Maintenance of register (physical or electronic format) for guest check- in and check-out records including passport details in case of foreign tourists.	M	M		

* 'M' stands for mandatory

** 'D' stands for- desirable.

Note: - The grading in the various categories will depend on the quality of accommodation, facilities and services provided.

अनुलग्नक – 04

To

The Director,
Directorate of Tourism,
B-Block, Ext. Building,
Old Secretariat, Patna
Government of Bihar.

UNDERTAKING

I have read and understood all the terms and conditions mentioned in the guidelines with respect to the approval and registration of the Mukhyamantri Homestay/Bed and Breakfast Protsahan Yojna 2024 and hereby agree to abide by the same and such other conditions as may be laid down from time to time by the Department of Tourism for the approval and registration of Homestay/Bed and Breakfast. The information and documents provided are correct and authentic to the best of my knowledge.

Name of Homestay/Bed and Breakfast :

....

Address of Homestay/Bed and Breakfast :

....

Date :

Place :

Signature and name of the owner
in block letters

अनुलग्नक – 05

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024

पंजीयन प्रमाण–पत्र

(कंडिका–6.1)

पंजीयन क्रमांक– .... श्रेणी– ....

प्रमाणित किया जाता है कि आवास क्रमांक/होल्डिंग संख्या– ....जिसके स्वामी श्री/श्रीमती/सुश्री ....है। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफस्ट प्रोत्साहन योजना 2024 अन्तर्गत संधारित पंजी के क्रमांक– .... पर .... श्रेणी में पंजीकृत है।

यह प्रमाण पत्र दिनांक– .... तक वैध है।

निदेशक,

पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

DEPARTMENT OF TOURISM, GOVT. OF BIHAR

1st Floor, B, Block, Extension Building,
Old Secretariat, Patna - 800015

Follow Us @ @tourismbihargov

www.tourism.bihar.gov.in

Printed at - Indian Arts Offset, Patna Email : indianartsoffsetgstit@gmail.com